हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान
RNI No. : MAHHIN/2008/24084. www.rashtriyaswabhimaan.com
वर्ष : 17 | अंक : 160 | मुंबई, शुक्रवार,13 फरवरी 2026 | पृष्ठ : 4 | मूल्य 1 रुपए

खबर संक्षेप

अजीत पवार विमान हादसे की जांच को लेकर सियासत तेज, रोहित पवार के समर्थन में उतरे अमोल मिटकरी

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता अजीत पवार विमान हादसे की जांच को लेकर सियासत तेज, रोहित पवार के समर्थन में उतरे अमोल मिटकरी मुंबई में पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। हादसे की परिस्थितियों और जांच प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब जांच को बाहरी और विदेशी एजेंसियों से कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार द्वारा उठाए गए सवालों को अब एनसीपी (एपी) विधायक अमोल मिटकरी का भी खुला समर्थन मिल गया है, जिससे यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक महत्व का बन गया है।

रोहित पवार ने हाल ही में मुंबई और दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विमान हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि केवल राज्य स्तरीय जांच से लोगों के मन में उठ रहे संदेह पूरी तरह दूर नहीं होंगे। उनका तर्क है कि मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ विदेशी विशेषज्ञ एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। रोहित पवार ने यह भी मांग की कि अजीत पवार के परिवार के सदस्यों को जांच प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाए, ताकि उन्हें भी सच्चाई जानने का अवसर मिल सके। अब अमोल मिटकरी ने भी रोहित पवार के रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही इस मामले में कुछ संदेह व्यक्त किए थे और अब उन्हें उन आशंकाओं में कुछ सच्चाई नजर आ रही है। मिटकरी ने कहा कि जब किसी बड़े नेता की दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में कई प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों का समाधान केवल पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच से ही संभव है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आवश्यकता हो तो किसी बाहरी संस्था से भी जांच कराई जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम या अविश्वास समाप्त हो सके। मिटकरी ने हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में एक औपचारिक पत्र भी सौंपा है। पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष और व्यापक स्तर पर कराई जाए। उनका कहना है कि जनता का विश्वास बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए जरूरी है कि जांच प्रक्रिया पर किसी तरह का सवाल न उठे।

शिवनेरी जा रही एसटी बस ओतुर में पलटी, 14 छात्र सहित 18 घायल; शिक्षकों में भी मची अफरा-तफरी

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता पुणे। शैक्षणिक भ्रमण पर निकले विद्यार्थियों के लिए गुरुवार का दिन भयावह साबित हुआ, जब ओतुर स्थित कल्याण-अहमदनगर रोड पर दोपहर करीब 12 बजे महाराष्ट्र राज्य परिवहन की एक एसटी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। इस हादसे में 14 छात्र-छात्राओं सहित कुल 18 लोग घायल हो गए, जिनमें चार शिक्षक भी शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस अहिल्यानगर जिले के नेवासा स्थित एक जिला परिषद स्कूल के 53 छात्रों को लेकर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिवनेरी किला की ओर जा रही थी। छात्र अपने शिक्षकों के साथ शैक्षणिक भ्रमण पर निकले थे और बस में उत्साह का माहौल था। लेकिन ओतुर के समीप अचानक चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। ुर्घटना की सूचना मिलते ही ओतुर पुलिस स्टेशन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सहायक पुलिस निरीक्षक लहू थाटे के नेतृत्व में बचाव अभियान चलाया गया। ग्रामीणों ने भी बिना समय गंवाए बस के शीशे तोड़कर और दरवाजे खोलकर अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकाला। कुछ छात्र सीटों के नीचे दब गए थे, जबकि कुछ को मामूली चोटें आईं। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। घायल छात्रों की पहचान श्रवणी नवथार, कृष्णा नवथार, सिद्धांत मुसाले, सार्थक कोकाटे, जिया शेख, ईश्वरी लहरे, सागर फावले, अनुराज काले, रितेश मोरे, स्नेहल खंडागले, शुभम गोंडुले, पायल कचरे, काव्या गोसावी और आयरन नवथार के रूप में की गई है।

डिजिटल जाल में फंसता भारत: पांच साल में ₹55 हजार करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, शिकायतों में रिकॉर्ड उछाल

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता देश तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साइबर अपराधियों का जाल भी उतनी ही तेजी से फैलता जा रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं ठगों को भी नए अवसर दे दिए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में जो आंकड़े पेश किए हैं, वे बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने रखते हैं। वर्ष 2021 से 2025 के बीच साइबर अपराधियों ने देशभर में 55,000 करोड़ से अधिक की ठगी को अंजाम दिया है। यह केवल दर्ज मामलों का आंकड़ा है, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता है। मंत्रालय के अनुसार पिछले पांच वर्षों में कुल 6 करोड़ 58 लाख 9 हजार 63 शिकायतें साइबर ठगी से जुड़ी दर्ज की गईं। हर साल शिकायतों की संख्या में तेज उछाल देखा गया है, जो यह दर्शाता है कि साइबर अपराध अब संगठित और व्यापक रूप ले चुका है। वर्ष 2021 में जहां 2,62,846 शिकायतें दर्ज हुई थीं, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 6,94,446 हो गई। 2023 में शिकायतें दोगुनी से अधिक बढ़कर 13,10,357 तक पहुंच गईं। 2024 में 19,18,835

मामले सामने आए और 2025 में यह आंकड़ा 24,02,579 तक जा पहुंचा, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सिर्फ शिकायतों की संख्या ही नहीं, बल्कि ठगी की रकम में भी भयावह वृद्धि हुई है। 2021 में साइबर ठगी के जरिए 551 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की गई थी। 2022 में यह बढ़कर 2,290 करोड़ हो गई। 2023 में नुकसान 7,465 करोड़ तक पहुंच गया। 2024 में तो साइबर अपराधियों ने 22,848 करोड़ की भारी रकम उड़ा ली। 2025 में भी यह सिलसिला थमा नहीं और 22,495 करोड़ की ठगी दर्ज की गई। कुल मिलाकर पांच वर्षों में 55 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम लोगों के खातों से साफ कर दी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर ठग अब केवल फिशिंग या फर्जी कॉल तक सीमित नहीं हैं। वे फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट, कस्टमर केयर बनकर ठगी, केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग और रोमांस स्कैम जैसे नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम नागरिकों के साथ-साथ छोटे कारोबारी, बुजुर्ग और छात्र भी इनके निशाने पर हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी और त्वरित लालच का फायदा उठाकर अपराधी बड़ी रकम ऐंठ रहे हैं।

हालांकि सरकार का दावा है कि इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) का गठन किया है, जो देश में साइबर अपराध से निपटने की केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करता है। इसी के तहत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) शुरू किया गया, जहां नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकना है। मंत्रालय के अनुसार 2025 तक इस सिस्टम के जरिए 23 लाख 62 हजार मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई और लगभग 8,189 करोड़ की राशि को बचाया गया। यह राहत जरूर है, लेकिन कुल ठगी की तुलना में यह अभी भी सीमित है।

सरकार ने साइबर अपराध से जुड़ी त्वरित मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर '1930' भी शुरू किया है, जिस पर कॉल करके पीड़ित तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शुरुआती घंटों में शिकायत दर्ज होने पर रकम को फ्रीज कराने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर रिपोर्टिंग से नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन कई मामलों में लोग देर से शिकायत करते हैं, जिससे रकम रिकवर करना मुश्किल हो जाता है।

महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के तहत गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को मुंबई के वॉल्केश्वर स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा को अंतिम रूप देते कलाकार।

मुझे खत्म करने की दी गई सुपारी: मनोज जरांगे का सनसनीखेज दावा, मराठा आंदोलन पर सियासी घमासान तेज

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता सोलापुर। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपनी जान को खतरा होने का दावा कर महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सोलापुर जिले के पंढरपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मराठा समाज के हक और आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे उनके आंदोलन से कुछ प्रभावशाली लोग बौखला गए हैं और उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही है। जरांगे ने खुले मंच से आरोप लगाया कि उन्हें खत्म करने के लिए सुपारी दी गई है। पंढरपुर में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सभा में उपस्थित लोगों के बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जरांगे ने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और यदि उनकी जान भी चली जाए तो भी मराठा समाज के अधिकारों की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यक्तिगत दुश्मनी मानकर खतरनाक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए अब उनके करीबी सहयोगियों को भी बहकाने और भड़काने की कोशिश की जा रही है।

अभ्यारण्यों से बाहर बाघों की बढ़ती मौजूदगी पर केंद्र की पहल, महाराष्ट्र को 5.40 करोड़ की विशेष मंजूरी

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता मुंबई से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने महाराष्ट्र में नामित बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रह रहे बाघों के प्रबंधन के लिए पहली बार अलग से विशेष धनराशि स्वीकृत की है। अधिकारियों के अनुसार 10 फरवरी को वर्ष 2025-26 के लिए 5.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। यह राशि "बाघ अभ्यारण्यों के बाहर बाघों का प्रबंधनः मानव-बाघ संघर्ष से निपटने की रणनीतियां" परियोजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ उनका मूवमेंट भी पारंपरिक संरक्षित क्षेत्रों से बाहर तक फैल गया है। कई बाघ अब वन्यजीव अभ्यारण्यों और टाइगर रिजर्व की सीमाओं से निकलकर सामान्य वन

क्षेत्रों और कभी-कभी मानव बस्तियों के आसपास तक पहुंच रहे हैं। इससे मानव-बाघ संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया था कि केवल संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित रहने के बजाय बाहर के इलाकों के लिए भी ठोस प्रबंधन योजना बनाई जाए।

स्वीकृत की गई यह राशि राज्य के छह प्रमुख वन प्रभागों—चंद्रपुर, ब्रह्मपुरी, सेंट्रल चंदा, नागपुर, पंढरकौड़ा और वड़सा—को दी जाएगी। प्रत्येक वन प्रभाग के लिए 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में बाघों की सक्रिय मौजूदगी दर्ज की गई है और कई स्थानों पर ग्रामीण आबादी के साथ उनका संपर्क भी बढ़ा है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य मानव-बाघ संघर्ष को कम करना, स्थानीय समुदायों को सुरक्षित रखना और बाघों के संरक्षण को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना है।

यह धनराशि राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के ढांचे के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस फंड का उपयोग आधुनिक निगरानी तंत्र, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, ड्रोन और कैमरा ट्रैप की व्यवस्था, जागरूकता कार्यक्रम, और आवश्यकतानुसार बाड़बंदी या अन्य संरचनात्मक उपायों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा मुआवजा प्रक्रिया को तेज करने और प्रभावित परिवारों तक त्वरित सहायता पहुंचाने की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।

मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी का भंडाफोड़, मुगल और कुषाण काल के दुर्लभ सोने-चांदी के सिक्के जब्त

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने तस्करी के एक अनोखे और गंभीर मामले का पर्दाफाश किया है। लंदन से Virgin Atlantic की उड़ान से पहुंचे एक यात्री के पास से प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े अत्यंत दुर्लभ सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई 10 फरवरी को विशेष खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान की गई। अधिकारियों ने संदेह के आधार पर यात्री की विस्तृत तलाशी ली, जिसमें ये बहुमूल्य और ऐतिहासिक महत्व के सिक्के सामने आए। सीमा शुल्क विभाग के अनुसार जब्त किए गए सिक्के अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों से जुड़े हैं और इनका सांस्कृतिक महत्व बेहद ऊंचा है। बरामद सामग्री में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की बंगाल प्रेसीडेंसी, मुर्शिदाबाद टकसाल की 12.37 ग्राम वजनी स्वर्ण मोहर शामिल है। यह सिक्का औपनिवेशिक काल की आर्थिक व्यवस्था और उस समय की टकसाल प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा प्राचीन कुषाण साम्राज्य के शासक हुविष्क काल का लगभग 8 ग्राम वजनी स्वर्ण दीनार भी बरामद हुआ है। कुषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार, कला और संस्कृति के उत्कर्ष का समय माना जाता है, और उस दौर के सिक्के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।जब्त किए गए चांदी के सिक्कों में जहांगीर के शासनकाल का एक विशेष रजत रुपया भी शामिल है। इस सिक्के पर कर्क राशि का चिह्न अंकित है और इसे अहमदाबाद टकसाल में ढाला गया था। जहांगीर के काल में राशि चक्र श्रृंखला के सिक्के ढाले गए थे, जो आज दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुओं में गिने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे सिक्के न केवल आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं, बल्कि वे उस दौर की कला, धर्म और राजनीतिक प्रतीकों की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन सिक्कों को बिना वैध दस्तावेजों और अनुमति के देश में लाने का प्रयास किया जा रहा था। प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का आयात-निर्यात भारतीय कानूनों के तहत कड़े नियंत्रण में है। ऐसी वस्तुएं देश की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मानी जाती हैं और इनके अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए कस्टम्स और अन्य एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन सिक्कों का वास्तविक स्रोत क्या है और इन्हें किस उद्देश्य से लाया जा रहा था। यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस तस्करी के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय है। सीमा शुल्क विभाग ने सिक्कों को जब्त कर विशेषज्ञों के परीक्षण के लिए भेज दिया है, ताकि उनकी प्रामाणिकता, अनुमानित बाजार मूल्य और ऐतिहासिक महत्व का विस्तृत आकलन किया जा सके।

महंगाई और बेरोजगारी के दौर में स्व-रोजगार करने वालों पर मनपा की 'मार'!

प्रभाग 10 में फेरीवालों से 90 रुपये की कथित अवैध वसूली, ठेकेदार पर FIR की मांग

आर. एस. नेटवर्क। प्रेम चौबे

नालासोपाराः वसई-विरार शहर महानगरपालिका के प्रभाग क्रमांक 10 क्षेत्र में फेरीवालों से प्रति व्यक्ति 90 रुपये की कथित जबरन वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि यह वसूली ठेकेदार कैलाश यादव के माध्यम से की जा रही है। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को अवैध, अन्यायपूर्ण और गरीबों के हक पर डाका बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे छोटे फेरीवाले अपनी रोजी-रोटी के लिए सड़कों पर छोटे-मोटे सामान बेचकर परिवार चला रहे हैं। ऐसे समय में प्रति व्यक्ति 90 रुपये की वसूली उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, तब जो लोग स्व-रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर

रहे हैं, उनके रास्ते में ही बाधाएं खड़ी की जा रही हैं।

प्रभाग 10 के नगरसेवक किशोर पाटिल ने इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि गरीब फेरीवालों से इस प्रकार की वसूली सीधे तौर पर उनकी आजीविका पर हमला है। "जब देश और प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तब महानगरपालिका को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए, न कि स्व-रोजगार कर रहे लोगों से वसूली कर उन्हें परेशान करना चाहिए," उन्होंने कहा।

इस संबंध में तुलिंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में ठेकेदार कैलाश यादव के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही यह भी मांग उठाई गई है कि जब तक वसई-विरार शहर महानगरपालिका की महासभा में इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उक्त वसूली पूरी तरह बंद रखी जाए।

नगरसेवक किशोर पाटिल ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध वसूली पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो क्षेत्र में जनआक्रोश फैल सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फेरीवालों के साथ हो रहे अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा।

स्थानीय फेरीवालों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में पहले ही कमाई सीमित है। ऊपर से इस प्रकार की कथित वसूली उनके लिए दोहरी मार साबित हो रही है। सवाल यह उठ रहा है कि जब महानगरपालिका रोजगार उपलब्ध कराने में असफल साबित हो रही है, तो क्या स्व-रोजगार कर रहे गरीबों को भी चैन से काम करने का अधिकार नहीं है? मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है और देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है।

भारत लौटे बिना नहीं मिलेगी राहतः बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या की याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता मुंबई से आई एक अहम न्यायिक खबर में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक माल्या व्यक्तिगत रूप से भारत लौटकर कानून के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक उसकी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठकर भारतीय न्याय व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सकता, खासकर तब जब उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका हो।

मुख्य न्यायाधीश आलोक श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने सुनवाई के दौरान माल्या के वकील से दो टूक कहा कि अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करना हर याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर देश से बाहर रहकर न्यायिक कार्रवाई से बच रहा है, तो वह समान रूप से अदालत से राहत की अपेक्षा नहीं कर सकता। पीठ ने संकेत दिया कि न्यायालय को यह दर्ज करना पड़ सकता है कि याचिकाकर्ता स्वयं ही सुनवाई से बचने की कोशिश कर रहा है। माल्या ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में उसने विशेष अदालत द्वारा उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। दूसरी याचिका में उसने 2018 के भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अदालत ने इन दलीलों के गुण-दोष पर विचार करने से पहले यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य शर्त है।

अदालत ने माल्या के वकील को निर्देश दिया कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि माल्या भारत कब लौटेगा और अदालत की प्रक्रिया का सामना करेगा। न्यायालय ने कहा कि बिना ठोस आश्वासन के आगे की कार्यवाही संभव नहीं है। हालांकि फिलहाल याचिकाओं को खारिज नहीं किया गया है, लेकिन यह संकेत दे दिया गया है कि यदि अगली सुनवाई तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अदालत सख्त निर्णय ले सकती है।

गौरतलब है कि 70 वर्षीय विजय माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहा है। भारतीय बैंकों के साथ हजारों करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद जनवरी 2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। इसके बाद से भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। मामला ब्रिटेन की अदालतों में भी लंबित रहा है और माल्या विभिन्न कानूनी उपायों के जरिए भारत वापसी को टालता रहा है। हाईकोर्ट की टिप्पणी को कानूनी विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह आदेश उन सभी मामलों के लिए मिसाल बन सकता है, जहां आरोपी विदेश में रहकर भारतीय अदालतों से राहत चाहते हैं। अदालत का रुख स्पष्ट करता है कि न्याय प्रणाली का सम्मान किए बिना उससे संरक्षण की उम्मीद नहीं की जा सकती। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है। अदालत ने इसे माल्या के लिए "एक और अवसर" बताते हुए कहा है कि वह अपनी मंशा स्पष्ट करे। यदि वह भारत लौटने का ठोस आश्वासन नहीं देता, तो उसकी याचिकाएं स्थायी रूप से खारिज की जा सकती हैं या ठंडे बस्ते में डाली जा सकती हैं।

संपादकीय

सोशल मीडिया नियमन की जटिलताएं

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से झूठ को सच बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस तरह के भ्रमित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जिससे डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासकर डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से निर्मित सामग्री के संबंध में। दरअसल, ये नवीनतम बदलाव उन शिकायतों के बाद किए गए हैं जिसमें एआई बॉट द्वारा पथभ्रष्ट करने वाली उत्तेजक छवियों के निर्माण करने के आरोप लगे हैं। जिसके खिलाफ दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि आईटी के नये नियम बीस फरवरी से लागू होंगे। इसके बाद एआई के जरिये निर्मित सामग्री पर इस बात का लेबल लगाना जरूरी होगा कि उसे कृत्रिम रूप से गढ़ा गया है। साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाना होगा कि साझा की जा रही सामग्री एआई द्वारा निर्मित है या नहीं। ऐसे वक्त में जब लोगों की संवेदनाओं और भरोसे से खिलवाड़ का खेल द्रुत गति से जारी है, केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया यह जरूरी कदम कहा जा सकता है। सरकार ने नये प्रावधानों में निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध या भ्रामक एआई जनित सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा या फिर ब्लॉक करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह हटाने की समय सीमा 36 घंटे थी। हालांकि, इस तरह सख्त नियमों के जरिये सोशल मीडिया का नियमन खासा जटिल कार्य है। इस आदेश की जटिल कार्यप्रणाली के अतिरिक्त,यह सवाल भी विवाद का विषय बना हुआ कि ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री किसे माना जाए। साथ ही यह भी कि क्या स्वीकार्य है? यदि हां तो किस आधार पर? वहीं दूसरी ओर इसके बहाने सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं भी बरकरार हैं। सही मायनों में, लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी इन चिंताओं का निराकरण भी जरूरी है।

निस्संदेह दुनिया में जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे-वैसे ही प्रभावी नियामक नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एआई उद्योग के लिये भी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी तकनीकों के विस्तार के साथ-साथ नैतिक ढांचों को बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता का विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति से असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना तकनीकी प्रगति की छलांग लगाती गति के दुष्परिणामों को ही उजागर करता है। निर्विवाद रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित स्पर्धा के दौर में नैतिक दुविधा स्पष्ट है। साथ ही इसका कोई कारगर समाधान शीघ्र नजर भी नहीं आता। इस संकट से विकासशील देश ही नहीं, विकसित देश भी गहरे तक जूझ रहे हैं। आस्ट्रेलिया व फ्रांस आदि देशों में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिये एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हो गया है। सोशल मीडिया कारोबार में दोनों हाथों से मुनाफा बटोरने वाली कंपनियों के देश अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर लोगों को लत लगाने वाली मशीनें बनाने के आरोप लग रहे हैं। इस बाबत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विशेषज्ञ की टिप्पणी है- हम देख रहे हैं कि अधिकाधिक युवा न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि शारीरिक पीड़ा का भी अनुभव करते हैं, जब उनसे फोन आदि उपकरण ले लिए जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति भारत समेत तमाम विकासशील देशों में भी बनी हुई है। इस संकट का कोई स्थायी समाधान विश्व भर के लिये प्रासंगिक हो सकता है। निस्संदेह, इस बेहद घातक तकनीक आक्रमण से निबटना लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। निर्विवाद रूप से असली-नकली के भ्रम से जूझते उपयोगकर्ताओं की संवेदनाओं से खिलवाड़ का सिलसिला नियंत्रित होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीपफेक से धोखाधड़ी-गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरों को नियंत्रित करने के लिये सख्त नियम के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के संचालकों को जवाबदेह बनाना भी जरूरी है।

संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हनन के प्रश्न

> हर नागरिक का अधिकार है कि वह उचित मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात कह सकता है। संसद में, और विधानसभाओं में तो सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि सदन में उनकी कही बात को किसी भी तरह से अपराध नहीं माना जायेगा।

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान हंगामा तो पहले भी होता रहा है, पर इस बार जो कुछ हुआ, वह अभूतपूर्व ही था। पहली बात तो यह हुई कि सत्ता पक्ष ने नेता विपक्ष को उनकी बात नहीं कहने दी और दूसरी यह कि किसी 'अनहोनी' की आशंका से लोकसभा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को यह आग्रह किया कि वह कार्यक्रम के अनुसार सदन में बहस का उत्तर देने न आयें। यह दोनों ही बातें हैरान करने वाली हैं, पर यह भी अपने आप में कम हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष की सलाह मानते हुए सदन में न आने का निर्णय कर लिया। यह घटना जहां एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के रूप में याद रखी जायेगी, वहीं इस बात पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है कि हमारी संसद में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में क्यों और कैसे पड़ गयी।

प्रधानमंत्री को सदन में न आने देने की सलाह के बारे में बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने जो कहा, वह निश्चित रूप से चिंता की बात है। उन्होंने 'पुख्ता जानकारी' का हवाला देते हुए कहा था कि उस दिन सदन में प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता था। इस 'कुछ भी' का ब्योरा उन्होंने यह शब्द लिखे जाने तक नहीं दिया है, पर यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि उनका इशारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ओर था। यदि ऐसा कुछ है तो देश को यह जानने का अधिकार है कि हमारे प्रधानमंत्री को किससे और कैसा खतरा था। यही नहीं, यह बताना भी अध्यक्ष का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई

की जा रही है। यह सब यदि देश को नहीं बताया जा रहा है तो तरह-तरह की अफवाहें फैल सकती हैं, जो किसी भी दृष्टि से देश के हित में नहीं होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही देश की जनता को इस बारे में विश्वास में लिया जायेगा।

संसद के भीतर प्रधानमंत्री पर इस तरह खतरे का होना जहां हमारी समूची सुरक्षा व्यवस्था को अंगूठा दिखा रहा है, वहीं सवाल संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने वालों के मंतव्य पर भी उठता है। सवाल जनतांत्रिक मूल्यों में हमारी आस्था और विश्वास का है। अक्सर इस तरह की स्थिति विपक्ष के विरोध से उत्पन्न होती है, पर सदस्यों के अभिव्यक्ति के अधिकार को चुनौती इस बार सत्तारूढ़ पक्ष ने भी दी है। जिस तरह नेता विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने से रोकने की कोशिश हुई, उन्हें एक पुस्तक का उद्धरण देने से रोका गया, वह नियमों को आधार बनाकर एक सच्चाई को उजागर होने से रोकने की कोशिश ही कही जायेगी। देश के पूर्व सेनाध्यक्ष की जिस कथित रूप से अप्रकाशित पुस्तक को लेकर सारा विवाद हुआ, वह एक उपहास बनकर रह गया है। पहले भी उस पुस्तक के कुछ अंश पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और अब तो वह सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सामने आ गया है, जिसे सत्तारूढ़ पक्ष उजागर नहीं करना चाहता था!

अब सारी दुनिया जान गयी है कि भारत सरकार ने जनरल नरवणे की जिस पुस्तक के अंश को छपने देने की अनुमति अब तक नहीं दी है उसका रिश्ता उस एक घटना से है जिसमें जनरल ने यह लिखा था कि शत्रु देश चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उन्हें सर्वोच्च अधिकारी से आवश्यक अनुमति बार-बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पायी थी। सवाल इस घटना की सच्चाई या झूठ का नहीं है, सवाल यह है कि यदि उस दिन लोकसभा में नेता विपक्ष को इस घटना का हवाला देने दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता? सारी जानकारी एक खुला रहस्य था, यह बात सदन में दोनों पक्षों को पता थी।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाली बात अपनी जगह है। उसकी तो जांच होनी ही चाहिए और जो भी दोषी है उसे उचित सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में किसी को भी किसी तरह की छूट दिया जाना प्रधानमंत्री की ही नहीं, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना होगा।

इस समूचे प्रकरण का एक हिस्सा जनतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का है। जो शासन-व्यवस्था हमने अपने लिए चुनी है, उसमें संवाद का सर्वाधिक महत्व है। हमारा संविधान हर नागरिक के अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। हर नागरिक का अधिकार है कि वह उचित मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात कह सकता है। संसद में, और विधानसभाओं में तो सदस्यों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि सदन में उनकी कही बात को किसी भी तरह से अपराध नहीं माना जायेगा। यह व्यवस्था इसलिए भी ज़रूरी थी कि निर्वाचित सदस्य अपनी बात निर्भयतापूर्वक कह सकें। ऐसे में यदि नेता विपक्ष को कोई बात कहने से रोका जाता है तो इसे जनतांत्रिक मूल्यों-परंपराओं का नकार ही कहा जायेगा। निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि वे अपनी मर्यादाओं का पालन करेंगे, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात सदन में कहने का अवसर और अधिकार मिलना ही चाहिए।

वहीं, एक बात यह भी समझने की है कि मतदाता सिर्फ सरकार ही नहीं चुनता, विपक्ष का भी चुनाव करता है। यदि वह एक पक्ष को सरकार चलाने का काम सौंपता है तो दूसरे पक्ष से वह यह अपेक्षा करता है कि वह सत्तारूढ़ पक्ष के काम-काज पर समुचित निगाह रखेगा। सदस्यों को सदन में अपनी बात कहने का अवसर देने का मतलब यही है कि हर सदस्य को अपना दायित्व निभाने का अवसर मिले। महज इसलिए कि किसी की बात से हम असहमत हैं, उसे बात कहने का मौका नहीं देंगे, या उसके बोलने में रुकावट डालेंगे, यह हर दृष्टि से अनुचित और अजनतांत्रिक है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक वाल्तेयर ने इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका कहना था, 'मैं आपके विचार से असहमत हो सकता हूं, पर अपनी बात कहने के आपके अधिकार की रक्षा मैं अपने प्राण देकर भी करूंगा'। वाल्तेयर की यह सोच जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसका अर्थ है हम उस व्यवस्था के मूल्यों में विश्वास नहीं करते जो हमने अपने लिए चुनी है।

उस दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष को वह सब कहने दिया जाना चाहिए था जो वे जनरल नरवणे को उद्धृत करके कहना चाहते थे। यह उनका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी था। उसी तरह सदन के नेता प्रधानमंत्री का भी अधिकार और कर्तव्य है कि वह प्रतिपक्ष द्वारा उठाये गये सवालों का जवाब देते। लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। होना चाहिए था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री अपनी बात कह सकते थे। पर पता नहीं क्यों उन्होंने उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, जो इस समूचे संदर्भ में उठ रहे हैं। यह सब मतदाता को हल्के में लेने का ही उदाहरण है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वह मतदाता के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। यह दुर्भाग्य ही है कि हमारी राजनीति से ईमानदारी कहीं गायब होती जा रही है।

सरोकार

अंतरमन का दीपक: सच्ची शांति की ओर एक यात्रा

किसी प्राचीन नगर में एक संत ठहरे हुए थे। वे न तो किसी बड़े आश्रम के आचार्य थे, न ही उनके पास धन-दौलत का कोई प्रदर्शन था। साधारण वस्त्र, सहज मुस्कान और गहरी दृष्टि—बस यही उनकी पहचान थी। लोग कहते थे कि उनके पास बैठने भर से मन हल्का हो जाता है। नगर के कोने-कोने से लोग उनसे मिलने आते, अपनी समस्याएँ कहते और किसी न किसी रूप में समाधान लेकर लौटते।

उसी नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर-दूर तक फैला हुआ था। घर में वैभव की कोई कमी नहीं थी। संगमरमर की हवेली, कीमती आभूषण, अनेक गाड़ियाँ, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा—सब कुछ उसके जीवन में था। फिर भी वह भीतर से टूट रहा था। रात को उसे नींद नहीं आती। मन में अजीब-सी बेचैनी रहती। कभी व्यापार में संभावित हानि का भय, कभी प्रतिस्पर्धियों से पीछे छूट जाने की चिंता, कभी परिवार में असहमति का तनाव। वह सोचता—"जब मेरे पास सब कुछ है, तो फिर यह खालीपन क्यों?"

एक दिन उसने निश्चय किया कि वह संत से मिलेगा। वह साधारण वस्त्र पहनकर उनके पास पहुँचा, ताकि लोग उसे पहचान न सकें। संत नदी किनारे बैठे थे, कुछ बच्चे उनके पास खेल रहे थे। व्यापारी ने प्रणाम किया और बैठ गया। थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, "महाराज, मेरे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है, फिर भी मन अशांत है। मैं शांति चाहता हूँ। कृपया मार्ग बताइए।"

संत ने उसकी ओर गहराई से देखा और पूछा, "तुम्हें क्या चाहिए—शांति या सुरक्षा?" व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, "दोनों ही।" संत मुस्कराए, "अक्सर हम सुरक्षा को शांति समझ बैठते हैं। धन हमें सुरक्षा का भ्रम देता है, पर शांति भीतर से आती है।"

व्यापारी कुछ समझा, कुछ नहीं। संत ने पास रखी एक छोटी-सी लकड़ी की पेटी उठाई। वह खाली थी। उन्होंने व्यापारी से कहा, "कल्पना करो कि यह पेटी तुम्हारा मन है। इसमें तुमने क्या-क्या भर रखा है?" व्यापारी ने उत्तर दिया, "परिवार की चिंता, व्यापार की योजनाएँ, भविष्य की तैयारी, प्रतिष्ठा बनाए रखने की चिंता" संत ने बीच में टोका, "और तुलना?" व्यापारी चुप हो गया। सच यह था कि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता था—कौन कितना कमा रहा है, किसका घर बड़ा है, किसका प्रभाव अधिक है।

संत ने कहा, "जब पेटी भरी रहती है, तो उसमें नया कुछ नहीं रखा जा सकता। तुम चाहते हो कि शांति उसमें प्रवेश करे, पर उसके लिए स्थान ही नहीं बचा। तुम्हारा मन हर समय विचारों और आशंकाओं से घिरा है।"

व्यापारी ने कहा, "तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए?" संत ने उत्तर दिया, "त्याग का अर्थ भागना नहीं है। यदि तुम व्यापार छोड़ भी दो, तो भी मन की आदतें तुम्हारे साथ जाएँगी। असली परिवर्तन भीतर का है।"

उन्होंने आगे समझाया, "अशांति का मूल कारण इच्छा नहीं, बल्कि अनियंत्रित इच्छा है। आवश्यकता सीमित होती है, पर लालसा असीमित। जब हम अपनी पहचान को वस्तुओं और पद से जोड़ लेते हैं, तब हर परिवर्तन हमें हिला देता है। यदि लाभ हुआ तो अहंकार बढ़ता है, यदि हानि हुई तो आत्मसम्मान टूटता है।"

व्यापारी ध्यान से सुन रहा था। संत ने उसे एक अभ्यास बताया—"प्रतिदिन कुछ समय अकेले बैठो। न कोई योजना बनाओ, न भविष्य की चिंता करो। केवल अपने विचारों को देखो। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही अपने मन को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो।"

व्यापारी ने पूछा, "क्या इससे शांति मिल जाएगी?" संत ने कहा, "शांति कहीं बाहर नहीं छिपी। वह तुम्हारे भीतर ही है, पर विचारों की धूल से ढँकी हुई है। जब तुम देखने लगोगे, तो धीरे-धीरे धूल बैठने लगेगी।"

उन्होंने एक और उदाहरण दिया, "तालाब का जल तब तक मटमैला रहता है, जब तक उसमें लगातार हलचल होती है। यदि उसे कुछ समय शांत छोड़ दिया जाए, तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ दिखने लगता है। मन भी ऐसा ही है।"

व्यापारी ने उसी दिन से अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में उसे कठिनाई हुई। जैसे ही वह आँखें बंद करता, विचारों की भीड़ और तेज हो जाती। कभी पुराने विवाद याद आते, कभी भविष्य की योजनाएँ, कभी किसी की कही हुई कठोर बात। उसे लगता कि वह पहले से अधिक अशांत हो गया है। पर संत के शब्द उसे याद थे—"साक्षी बनो।"

धीरे-धीरे उसने देखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वे स्थायी नहीं हैं। उसने महसूस किया कि वह अपने विचार नहीं है; वह तो उनका दर्शक है। यह अनुभूति नई थी। उसने अपने व्यापार को भी नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले जहाँ हर सौदे में जीत-हार का अहंकार जुड़ा होता था, अब वह उसे एक प्रक्रिया की तरह देखने लगा।

उसने यह भी समझा कि संग्रह की कोई सीमा नहीं। जितना अधिक जमा करो, उतना अधिक खोने का भय बढ़ता है। उसने अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। परिवार के साथ समय बिताना, कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, समाज के लिए कुछ करना—ये सब धीरे-धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगे।

कुछ महीनों बाद वह फिर संत के पास पहुँचा। उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने कहा, "अब भी समस्याएँ हैं, व्यापार में उतार-चढ़ाव आते हैं, पर मन पहले जैसा विचलित नहीं होता। क्या यही शांति है?"

संत ने उत्तर दिया, "शांति का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं, बल्कि उनके बीच स्थिर रहना है।

बारातीयुगांत: राजा से रजिस्टर नंबर तक का सफर

हाल ही में एक शादी में ऐसा दृश्य देखने को मिला कि मन हंसा भी और भीतर कहीं चुभा भी। दूल्हे पक्ष के रिश्तेदारों की छाती पर गोल-गोल चमकते बिल्ले टंगे थे, जिन पर मोटे अक्षरों में लिखा था—"दूल्हे वाले"। मानो किसी प्रदर्शनी में अलग-अलग प्रजातियों की पहचान कराई जा रही हो। पास ही खड़े एक ताऊ ने मूंछ ऐंठते हुए फुसफुसाकर कहा—"बेट्टा, आगले ब्याह म्ह तो गले में पट्टा डालना पड़ैगा, मखां बाराती दूर तै ए दिख ज्यै।" ताऊ की बात पर सब हंस दिए, पर उस हंसी में समय का सच छिपा था।

एक दौर था जब बाराती होना किसी पदवी से कम नहीं था। बारात निकलती थी तो गांव-गांव में चर्चा होती थी कि फलां घर की बारात आई है। लड़की वाले इस तरह आवभगत करते थे जैसे कोई समधी नहीं, सम्राट पधारे हों। पानी पूछने से पहले कुर्सी पूछी जाती थी और कुर्सी से पहले झुक-झुक कर सम्मान दिया जाता था। बाराती के पैर में जूता ढीला हो जाए तो कोई बच्चा दौड़कर ठीक कर देता था। कोई पगड़ी टेढ़ी हो जाए तो दस हाथ उसे सीधा करने को तैयार रहते थे। उस समय बाराती की पहचान उसके सीने पर टंगे बिल्ले से नहीं, उसके माथे पर लिखे सम्मान से होती थी।

लेकिन वक्त बदल गया है। अब विवाह समारोह आयोजन से ज्यादा प्रबंधन बन गए हैं। हर चीज का सेक्शन है—कैटरिंग सेक्शन, डीजे सेक्शन, फोटो बूथ सेक्शन, और शायद जल्द ही "बाराती सेक्शन" भी बन जाए। आज का बाराती पंडाल में ऐसे घूमता है जैसे किसी मेले में खो गया बच्चा। न उसे पता कि वह किस कतार में खड़ा हो, न यह कि उसे कौन-सी मेज पर बैठना है। अगर बिल्ला न लगा हो तो हालत ऐसी हो जाती है जैसे वोटर लिस्ट में नाम कट गया हो। आदमी खुद ही लोगों को पकड़-पकड़ कर बताता फिरता है—"मैं दूल्हे का फूफा हूं, सगा वाला।"

पहले लड़की वाले डरते थे कि कहीं बारात रूठ न जाए। जरा-सी चूक हुई नहीं कि बारात लौट गई—ऐसी कहानियां हर गांव-कस्बे में मिल जाती हैं। अब उल्टा हो गया है। लड़के वालों के पसीने छूटते हैं कि कहीं बाराती भूखे न रह जाएं, कहीं किसी को प्लेट न मिले, कहीं किसी को पहचान न मिले। पहले बारात की "पूछ" थी, अब बाराती की "पूछताछ" है। शादी में रोशनी है, डीजे है, फोटोग्राफी है, ड्रोन कैमरे हैं, फूलों की बरसात है, पर बाराती का अता-पता नहीं। वह कभी रिश्तेदार समझ लिया जाता है, कभी कैटरर का आदमी। कभी उसे कहा जाता है—"अरे आप इधर मत बैठिए, यह वीआईपी टेबल है।" बेचारा सोचता है कि जब मैं दूल्हे के साथ आया हूं तो वीआईपी कौन है?

असल में विवाह की पूरी संस्कृति बदल गई है। पहले रिश्तों का उत्सव होता था, अब व्यवस्थाओं का प्रदर्शन है। पहले लोग दूल्हे-दुल्हन को आशीर्वाद देने आते थे, अब लोग सेल्फी लेने आते हैं। पहले बाराती और घराती अलग-अलग पहचाने जाते थे, अब सब एक जैसे कपड़े पहनकर, एक जैसी मुस्कान ओढ़कर, एक जैसे कैमरों के सामने खड़े हो जाते हैं। फर्क मिट गया है—बाराती और घराती गड्डमड्ड हो गए हैं।

आज का बाराती राजा से सीधा "रजिस्टर नंबर" बन गया है। शायद आने वाले समय में विवाह स्थलों पर अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे—नाम बताइए, रिश्ता बताइए, प्लेट नंबर लीजिए और जीमने का अधिकार प्राप्त कीजिए। प्रवेश पास के बिना पंडाल में प्रवेश वर्जित। सोचिए, वह दिन कैसा होगा जब बाराती को अपने ही रिश्ते का प्रमाण देना पड़ेगा। इस परिवर्तन का एक कारण सामाजिक ढांचा भी है। संयुक्त परिवार सिमट गए हैं। रिश्तों की गर्माहट कम हुई है। शहरों की शादियों में आधे लोग एक-दूसरे को पहचानते ही नहीं। ऐसे में बिल्ला टांग देना आसान उपाय लगता है। पर क्या सम्मान का भी कोई बिल्ला होता है? क्या रिश्ते पहचान-पत्र से मजबूत होते हैं?

पुराने समय की शादियों में सादगी थी, पर आत्मीयता थी। दरी बिछी होती थी, पत्तल पर खाना परोसा जाता था, और हर निवाले में अपनापन होता था। अब बुफे है—प्लेट उठाओ, लाइन में लगो, खुद भरो, खुद ढूंढो कि कहां बैठना है। बाराती प्लेट लिए ऐसे भटकता है जैसे किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हो।

इसी बदलते दौर की एक हंसी-मजाक भरी घटना याद आती है। एक बार की बात है, नत्थू अपने ढब्बी की बारात में गया। जीमण बैठा तो माल चेपता गया। लड्डू ऐसे उड़ रहे थे जैसे बरसात में पकौड़े। छोरी का भाई सुरजा लाड़ में बोला—"एक लाड्डू तो और लेओ जी।" नत्थू हाथ आगे सी करकै बोला—"ना भाई, मन्नै तो पूरे पांच लाड्डू खा लिये।" सुरजा मुस्कराया—"थम लेओ अर चाहे ना लेओ, पर खाये थमनैं सात हैं।"

यह किस्सा सिर्फ हंसी का नहीं, उस दौर की आत्मीयता का प्रतीक है। वहां गिनती नहीं, अपनापन चलता था। कोई कितने लड्डू खा गया, यह मजाक में कहा जाता था, हिसाब में नहीं। आज की शादियों में प्लेट पर नजर ज्यादा रहती है, चेहरे पर कम।

नजरिया

पुनौरा धाम का उदय: सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर से बदलेगी आस्था और पर्यटन की तस्वीर

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

पुनौरा धाम का उदयः सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर से बदलेगी आस्था और पर्यटन की तस्वीर

अयोध्या में वर्ष 2024 में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देशभर में धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर नई ऊर्जा देखने को मिली है। अयोध्या आज न केवल श्रद्धा का केंद्र बना है, बल्कि धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार का भी प्रतीक बन चुका है। इसी क्रम में अब बिहार के सीतामढ़ी जिले स्थित पुनौरा धाम का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है, जहां धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता का जन्म हुआ था। यहां मां जानकी के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

सीतामढ़ी का पुनौरा धाम लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। जनश्रुतियों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, यही वह पावन स्थल है जहां मिथिला नरेश राजा जनक को हल की नोक से धरती से बालिका सीता प्राप्त हुई थीं। यही कारण है कि इस स्थान को "मां जानकी की जन्मस्थली" के रूप में विशेष महत्व प्राप्त है। अब यहां एक विशाल और सुव्यवस्थित मंदिर परिसर विकसित करने की योजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो आने वाले वर्षों में देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनेगा।

प्रस्तावित जानकी मंदिर को आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक वास्तुकला के समन्वय के साथ विकसित किया जाएगा। मंदिर का डिज़ाइन पहले ही तय किया जा चुका है और इसे भव्यता के साथ आध्यात्मिक गरिमा का प्रतीक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है, जिसमें लगभग 42 महीने, यानी करीब साढ़े तीन वर्ष का समय लगने का अनुमान है। प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आधारभूत संरचना के विकास पर तेजी से काम चल रहा है।

मंदिर परिसर के विकास में केवल मुख्य मंदिर ही नहीं, बल्कि विस्तृत प्रांगण, यज्ञशाला, सत्संग भवन, श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, प्रसाद वितरण केंद्र, पार्किंग सुविधा और हरित क्षेत्र शामिल होंगे। उद्देश्य यह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि एक समग्र आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो। अयोध्या की तर्ज पर यहां भी सुव्यवस्थित भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल सुविधाओं को शामिल किए जाने की संभावना है।

निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए भूमि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिन क्षेत्रों में पहले जलजमाव की समस्या थी, वहां सुधार कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। मुख्य सड़क और आसपास के मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाई न हो। आधारभूत संरचना के विकास में जल निकासी, सड़क चौड़ीकरण और प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। मंदिर और उससे जुड़ी सरकारी भूमि पर यदि कहीं अतिक्रमण पाया गया है, तो उसे हटाने की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परियोजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े। प्रारंभिक चरण के कार्यों को लगभग छह महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद मुख्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गति पकड़ेगी।

धार्मिक दृष्टि से यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता सीता भारतीय संस्कृति में त्याग, मर्यादा, धैर्य और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। मिथिला की भूमि से उनका विशेष संबंध रहा है, और इसी कारण सीतामढ़ी का धार्मिक महत्व सदियों से स्थापित है। भव्य मंदिर निर्माण से इस ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को नई पहचान मिलेगी। यह न केवल स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देशभर से आने वाले भक्तों के लिए भी प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी इस परियोजना के दूरगामी प्रभाव अपेक्षित हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद जिस प्रकार पर्यटन और स्थानीय व्यापार में वृद्धि देखी गई, वैसी ही संभावनाएं सीतामढ़ी में भी मानी जा रही हैं।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा, सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं)
● आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084 ● ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com ● भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113

मनपा आयुक्त का ठेकेदार को अल्टीमेटम: 10 दिनों में पूरा करें मीनाताई ठाकरे रंगायतन का काम, वरना रद्द होगा वर्क ऑर्डर

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता

भिवंडीः शहर के सांस्कृतिक गौरव स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे रंगायतन के जीर्णोद्धार कार्य में लगातार हो रही देरी पर भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका आयुक्त अनमोल सागर ने सख्त रुख अपनाया है। आठ वर्षों से बंद पड़े इस ऐतिहासिक नाट्यगृह के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने ठेकेदार की सुस्त कार्यप्रणाली पर तीखी नाराज़गी जताते हुए दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि शेष कार्य अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए, अन्यथा

वर्क ऑर्डर तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि रख-रखाव के अभाव और आर्थिक तंगी के कारण यह नाट्यगृह पिछले आठ वर्षों से बंद पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रयासों से जिला नियोजन समिति के माध्यम से इसके जीर्णोद्धार हेतु 10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। पिछले एक वर्ष से मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य जारी है, लेकिन निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं हो सका। निरीक्षण के दौरान आयुक्त अनमोल सागर के साथ कार्यकारी अभियंता जमील पटेल एवं अतिरिक्त शहर अभियंता सचिन नाइक उपस्थित रहे। आयुक्त ने मौके पर कार्य की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयुक्त ने कहा, "यदि आगामी 10 दिनों में कार्य में ठोस और संतोषजनक प्रगति दिखाई नहीं दी, तो संबंधित ठेकेदार का वर्क ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा।"

आयुक्त ने केवल ठेकेदार को ही नहीं, बल्कि संबंधित निगम अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया है। शहर अभियंता को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन दो बार कार्यस्थल का दौरा कर प्रगति की समीक्षा करें तथा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आयुक्त के इस कड़े रुख से शहर के कलाकारों, रंगकर्मियों और नाट्यप्रेमियों में नई उम्मीद जगी है। वर्षों से बंद पड़े इस रंगमंच के पुनः शुरू होने का इंतजार कर रहे सांस्कृतिक जगत को अब उम्मीद है कि मीनाताई ठाकरे रंगायतन जल्द ही पुनः सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा।

हार्बर लाइन की एसी लोकल को जबरदस्त लोकप्रियता, 16 दिनों में 6.40 लाख यात्रियों ने की यात्रा

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता

मुंबईः हार्बर लाइन पर हाल ही में शुरू की गई एसी लोकल सेवाओं को यात्रियों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। 26 जनवरी से 10 फरवरी 2026 के बीच केवल 16 दिनों में एसी लोकल ट्रेनों से कुल 6.40 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो प्रतिदिन औसतन 40,017 यात्रियों के प्रभावशाली आंकड़े के बराबर है। मध्य रेल के अनुसार, इस अवधि में एसी लोकल टिकटों से कुल 2.38 करोड़ रुपये की आय अर्जित हुई, जिसमें 1.79 करोड़ रुपये सीजन टिकटों से और 59 लाख रुपये यात्रा टिकटों से प्राप्त हुए। यह आंकड़ा दर्शाता है कि यात्री अब पारंपरिक नॉन-एसी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की यात्रा से उन्नत

आराम और सुविधाओं से युक्त एसी लोकल की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। वर्तमान में मध्य रेल कुल 94 एसी लोकल सेवाएं संचालित कर रहा है, जिनमें से 14 सेवाएं 26 जनवरी 2026 को हार्बर लाइन पर शुरू की गई थीं।

टिकट जाँच अभियान में भी सख्ती

मध्य रेल ने अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एसी लोकल ट्रेनों और स्टेशनों पर विशेष टिकट जाँच अभियान चलाया। 26 जनवरी से 10 फरवरी 2026 के दौरान हार्बर लाइन एसी लोकल ट्रेनों में अनियमित यात्रा के 810 मामले पकड़े गए और 25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी तक) में, मेन लाइन और हार्बर लाइन की एसी लोकल ट्रेनों में बिना टिकट या गलत टिकट के यात्रा करने के 1.01 लाख मामले पकड़े गए और कुल 3.22 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। मध्य रेल ने स्पष्ट किया कि एसी लोकल ट्रेनों में अनियमित यात्रा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डानकुनि–सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को रफ्तार: रेलवे बोर्ड के सख्त निर्देश, 2100 किमी परियोजना पर तेजी

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता

नई दिल्लीः भारतीय रेलवे ने केंद्रीय बजट 2026 में घोषित डानकुनि–सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) परियोजना को तेजी से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय-सीमा में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

करीब 2,100 किलोमीटर लंबा यह नया फ्रेट कॉरिडोर डानकुनि (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरेगा। इसके शुरू होने से पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई अधिक तेज़ और सुगम होगी, मालगाड़ियों का समय बचेगा और मौजूदा रेल मार्गों पर यात्री ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। रेलवे बोर्ड ने डीएफसीसीआईएल (DFCCIL) को आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुरूप परियोजना विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें उच्च क्षमता वाली विद्युत प्रणाली, बिना लेवल क्रॉसिंग के समर्पित ट्रैक और 'कवच' जैसी उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली शामिल करने की योजना है, जिससे सुरक्षा और माल ढुलाई क्षमता दोनों बढ़ेंगी।

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को नए लागत अनुमान और समय-सीमा के अनुसार अपडेट किया जाएगा। काम को कई हिस्सों में बांटकर एक साथ अलग-अलग स्थानों पर निर्माण शुरू किया जाएगा। प्रत्येक खंड के लिए अलग टीम तैनात की जाएगी, जो मौके पर रहकर निगरानी करेगी।

रेलवे बोर्ड ने निर्माण पूर्व सभी औपचारिकताएं और ठेके से जुड़े दस्तावेज पहले ही तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि काम में कोई देरी न हो। साथ ही, परियोजना के लिए आवश्यक मानव संसाधन का आकलन भी किया जा रहा है। परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी, ताकि किसी भी बाधा को समय रहते दूर कर डानकुनि–सूरत फ्रेट कॉरिडोर को शीघ्र पूरा किया जा सके।

CSMT पार्सल में ट्रांसफर के बाद शिकायत: क्या विजिलेंस पर दबाव की साजिश?

विजिलेंस पर दबाव डालने की कोशिश या प्रशासन को खुली चुनौती!: सीएसएमटी पार्सल प्रकरण पर लगा प्रश्न चिन्ह

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता

मुंबई। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन स्थित सीएसएमटी पार्सल विभाग में सामने आया विवाद अब सिर्फ एक कर्मचारी के स्थानांतरण तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला अब रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्था, विजिलेंस की स्वतंत्रता और शिकायत तंत्र के संभावित दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस की अनुशंसा के आधार पर सीएसएमटी पार्सल सीबीएस बैच इंचार्ज शैलेन्द्र पंडित का स्थानांतरण सीएसएमटी से शिवुड़–दारावे स्टेशन किया गया था। लेकिन स्थानांतरण आदेश सामने आते ही 11 फरवरी 2026 को सीएसएमटी जीआरपी में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने की कार्रवाई ने पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे में ला दिया है। जीआरपी में प्रस्तुत शिकायत में मुंबई डिवीजन के सीनियर डीसीएम डॉ. शिवराज मानसपुरे, मध्य रेलवे के डिप्टी सीवीओ (ट्रैफिक) प्रदीप हिरडे तथा मध्य रेलवे के चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर सुमित दूधे के नाम लिए गए हैं। रेलवे के जानकार अधिकारियों का कहना है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के तुरंत बाद इस प्रकार की शिकायत दर्ज होना केवल संयोग

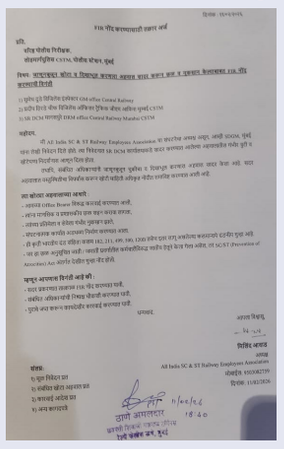

नहीं माना जा सकता। उनका मानना है कि यह कदम सिस्टम पर दबाव बनाने और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा प्रतीत होता है। दस्तावेजों के अनुसार यह विवाद अचानक नहीं उठा है। विजिलेंस निरीक्षणों में पहले भी संबंधित कर्मचारी की कार्यप्रणाली पर आपत्तियाँ दर्ज की जा चुकी हैं। 23 अप्रैल 2025 को अनियमितता दर्ज होने की बात सामने आई थी। 25 जून 2025 को कर्मचारी के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने का उल्लेख रिकॉर्ड में है, वहीं ड्यूटी मस्टर में नाम का कॉलम खाली छोड़ने और बाद में हस्ताक्षर करने की प्रवृत्ति भी नोट की गई थी। 3 अगस्त 2025 को सीआरबी निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति के बाद रिकॉर्डेड चेतावनी जारी किए जाने की जानकारी भी दस्तावेजों में दर्ज बताई जा रही है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पहले चार्जशीट और बाद में स्थानांतरण आदेश जारी होने की बात कही जा रही है। ऐसे में रेलवे प्रशासन के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि यदि विजिलेंस रिकॉर्ड में पहले से अनियमितताओं के तथ्य मौजूद थे, तो फिर कार्रवाई के बाद ही शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका उद्देश्य क्या था। कई अधिकारियों का मानना है कि यह शिकायत वास्तविक न्याय के लिए नहीं बल्कि ट्रांसफर और विभागीय कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई हो सकती है। मामले में एक और गंभीर पहलू भी सामने आया है। शिकायत पत्र 'ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन' के नाम से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन रेलवे के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जिस एसोसिएशन से संबंधित कर्मचारी स्वयं को पदाधिकारी बताते हैं, उसकी रेलवे बोर्ड से मान्यता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि संगठन की मान्यता संदिग्ध या फर्जी पाई जाती है तो यह मामला फर्जी संगठन के नाम पर दबाव बनाने और सिस्टम को प्रभावित करने के आरोपों तक भी जा सकता है।

ठाणे पुलिस आयुक्तालय में कल्याण सर्कल नंबर वन, 3 हजार से ज्यादा मामलों का खुलासा

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता

ठाणेः ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत क्राइम ब्रांच के कल्याण सर्कल ने अपराध जांच में पहला स्थान हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। खाकी वर्दी में तैनात जांबाज़ पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ शानदार आंकड़े पेश किए, बल्कि आम जनता के दिलों में सुरक्षा और भरोसे की भावना को भी मजबूत किया है। यह उपलब्धि ठाणे शहर

के पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे के मार्गदर्शन और सर्कल 3 के पुलिस उपायुक्त अतुल झेंडे के नेतृत्व में संभव हो सकी। वर्ष भर में 3 हजार से अधिक आपराधिक मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा कर कल्याण सर्कल ने जांच में तेजी, सटीकता और बेहतर समन्वय का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

यह सफलता केवल अपराध सुलझाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई परिवारों को न्याय दिलाने, समाज से डर का माहौल खत्म करने और सुरक्षा का भरोसा कायम रखने की दिशा में भी अहम साबित हुई है। दिन-रात, त्योहारों की भीड़ या बारिश जैसी कठिन परिस्थितियों में भी पुलिस बल ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। इस कामयाबी के पीछे सभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों, जांच अधिकारियों और हर पुलिसकर्मी की कड़ी मेहनत और अनुशासन शामिल है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और प्रभावी जांच ने यह साबित कर दिया है कि ठाणे पुलिस अपराध के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी है। कल्याण सर्कल की यह उपलब्धि पूरे ठाणे के लिए प्रेरणादायक है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी खाकी का यही दमदार प्रदर्शन जारी रहेगा और जनता का भरोसा और अधिक मजबूत होगा।

मीम्स और आलोचनाओं के बीच सलमान खान का फोन बना वरुण धवन की ताकत

फिल्मी दुनिया में सफलता जितनी तेजी से सिर चढ़कर बोलती है, उतनी ही तेजी से आलोचना और ट्रोलिंग भी पीछा करती है। इन दिनों वरुण धवन अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और दर्शक उनके अभिनय की खुलकर सराहना कर रहे हैं। लेकिन इस सफलता की कहानी के पीछे एक ऐसा दौर भी रहा, जब सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। ट्रेलर रिलीज होते ही उनके मुस्कुराने के अंदाज को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई थी और कई यूजर्स ने उनके अभिनय पर सवाल खड़े कर दिए थे। रिलीज से पहले का यह समय वरुण के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था। सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ सेकंड का दृश्य भी चर्चा और आलोचना का विषय बन जाता है। 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में उनके एक सीन पर बनी मीम्स तेजी से वायरल हुईं। हालांकि वरुण ने सार्वजनिक तौर पर शांत रुख अपनाया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा माहौल किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं होता। फिल्म की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस

के दौरान वरुण ने उस दौर को याद करते हुए एक खास खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अपने चरम पर थी, उसी दौरान सलमान खान का फोन उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर आया। वरुण ने कहा कि आज के समय में ट्रोलिंग एक तरह का ट्रेंड बन चुका है और उन्होंने इसे दिल पर न लेने की आदत डाल ली है। लेकिन उस समय सलमान का भरोसा उनके लिए बेहद मायने रखता था। वरुण के मुताबिक, देर रात सलमान खान का फोन आया। वह हंस रहे थे और उन्होंने सहज अंदाज में कहा, "अच्छी चीजें होने वाली हैं।" यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन उस वक्त वरुण के लिए बेहद खास साबित हुआ। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में जब कोई सीनियर कलाकार आप पर विश्वास जताता है, तो वह आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। सलमान के शब्दों ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि मेहनत रंग लाएगी और फिल्म को सही समय पर सही पहचान मिलेगी। फिल्म रिलीज हुई तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। दर्शकों ने 'बॉर्डर 2' को हाथों-हाथ लिया और समीक्षकों ने भी वरुण के अभिनय को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना। देशभक्ति और भावनात्मक दृश्यों से भरी इस फिल्म में वरुण के अभिनय को परिपक्व और प्रभावशाली बताया गया।

डर से दृढ़ता तक: प्रियंका चोपड़ा ने करियर, ट्रोलिंग और शादी पर खुलकर रखी बात

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने जीवन के उन अध्यायों पर खुलकर बात की, जिनके बारे में अक्सर कयास लगाए जाते रहे हैं। एक सफल बॉलीवुड करियर के शिखर पर खड़ी अभिनेत्री ने जब हॉलीवुड की ओर रुख किया था, तब कई लोगों को यह कदम जोखिम भरा लगा था। अब प्रियंका ने स्वीकार किया है कि वह फैसला जितना साहसी दिखता था, उतना ही भीतर से डरावना भी था। उन्होंने बताया कि 30 वर्ष की उम्र में स्थापित पहचान, आर्थिक स्थिरता और मजबूत नेटवर्क को छोड़कर एक अनजान इंडस्ट्री में नए सिरे से शुरुआत करना आसान नहीं था। भारत में वह सुरक्षित थीं, सफल थीं और उनके पास काम की कमी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर सीमाओं से परे जाकर काम करने की बेचैनी थी। प्रियंका के अनुसार, वह केवल हॉलीवुड का हिस्सा बनकर तस्वीरें खिंचवाने या रेड कार्पेट पर दिखने के लिए नहीं जाना चाहती थीं। उनका लक्ष्य ऐसे सिनेमा से जुड़ना था जिसकी कोई भौगोलिक सीमा न हो, जो वैश्विक दर्शकों से संवाद कर सके। उन्होंने कहा कि कलाकार के रूप में विकास तभी संभव है जब व्यक्ति खुद को चुनौती दे। यही सोच उन्हें लॉस एंजेलिस ले गई, जहां उन्हें सब कुछ फिर से शून्य से शुरू करना पड़ा। उन्होंने शुरुआती संघर्षों को याद करते हुए बताया कि हॉलीवुड में प्रवेश करना सिर्फ ऑडिशन देने तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना पड़ा। कई बार उन्हें यह महसूस कराया गया कि वे बाहरी हैं। कुछ लोगों को उनकी अंग्रेजी पर आश्चर्य होता था, मानो उन्हें उम्मीद न हो कि भारत से आने वाली अभिनेत्री धाराप्रवाह संवाद कर सकती है। प्रियंका ने कहा कि यह पूर्वाग्रह चुभता जरूर था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने तय किया कि वह अपने काम के माध्यम से ही अपनी पहचान स्थापित करेंगी।

राजामौली का महा-प्रोजेक्ट 'वाराणसी': 1,361 करोड़ के बजट के साथ भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी छलांग

भारतीय सिनेमा एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। 'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी वैश्विक स्तर पर चर्चित और सफल फिल्मों के निर्देशक एसएस राजामौली अब अपने नए प्रोजेक्ट 'वाराणसी' के साथ ऐसे मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं, जो अब तक किसी भारतीय फिल्म ने हासिल नहीं किया। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले ही इसका बजट चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 'वाराणसी' का अनुमानित बजट करीब 1,361 करोड़ रुपये है, जो इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बना देता है। राजामौली की फिल्मों की पहचान केवल बड़े कैनवास और भव्य सेट्स तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वे कहानी कहने के अनोखे अंदाज, तकनीकी उत्कृष्टता और भावनात्मक गहराई के लिए भी जाने जाते हैं। 'बाहुबली' ने भारतीय सिनेमा को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया था, जबकि 'आरआरआर' ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों और ऑस्कर सम्मान के जरिए भारतीय फिल्मों की क्षमता को नई ऊंचाई दी। ऐसे में 'वाराणसी' से उम्मीदें स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई हैं। यह फिल्म सिर्फ बजट के कारण चर्चा में नहीं है, बल्कि इसके कलाकारों की दमदार मौजूदगी भी इसे खास बनाती है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े सितारे मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्रियंका चोपड़ा की यह भारतीय सिनेमा में लगभग छह साल बाद वापसी मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से वे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय थीं। 'वाराणसी' के जरिए उनकी वापसी को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। महेश बाबू, जो साउथ सिनेमा के सुपरस्टार माने जाते हैं, पहली बार राजामौली के निर्देशन में काम कर रहे हैं। वहीं पृथ्वीराज

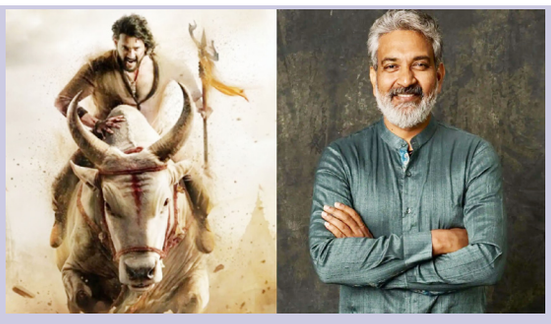

सुकुमारन की मौजूदगी फिल्म को और अधिक गहराई और प्रभाव देगी। यह स्टारकास्ट अपने आप में एक अखिल भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अपील रखती है। फिल्म के बजट पर नजर डालें तो यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। 'आरआरआर' का बजट लगभग 650 करोड़ रुपये था, जिसे उस समय भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में गिना गया था। लेकिन 'वाराणसी' ने उस रिकॉर्ड को दोगुने से भी अधिक अंतर से पीछे छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म के बड़े हिस्से में अत्याधुनिक विजुअल इफेक्ट्स, विस्तृत एक्शन सीक्वेंस और वास्तविक लोकेशनों पर शूटिंग शामिल है। तकनीकी स्तर पर इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि यह सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए भी आकर्षक अनुभव बने। 'वाराणसी' की शूटिंग भारत के विभिन्न हिस्सों के अलावा सात से अधिक देशों में की गई है। अफ्रीका के केन्या सहित कई अंतरराष्ट्रीय लोकेशनों पर फिल्मांकन हुआ है। यह वैश्विक लोकेशन चयन फिल्म की कहानी को व्यापक और भव्य आयाम देने के उद्देश्य से किया गया है। राजामौली की फिल्मों में लोकेशन केवल पृष्ठभूमि नहीं होती, बल्कि कथा का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 'वाराणसी' में भी दर्शकों को भव्य दृश्यों और रोमांचक सिनेमाई अनुभव का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार फिल्म का विषय ऐतिहासिक, पौराणिक और समकालीन तत्वों का मिश्रण हो सकता है, हालांकि निर्माताओं ने अभी कहानी को लेकर आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। राजामौली अपनी फिल्मों की कहानी को लंबे समय तक गोपनीय रखने के लिए जाने जाते हैं। यही रहस्य और उत्सुकता फिल्म के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी को और बढ़ा देती है। फिल्म उद्योग के जानकारों का मानना है कि 'वाराणसी' केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक रणनीतिक कदम है। आज जब हॉलीवुड और अन्य अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग बड़े बजट और वैश्विक वितरण के जरिए बाजार पर पकड़ बनाए हुए हैं, ऐसे में 'वाराणसी' जैसे प्रोजेक्ट भारतीय फिल्मों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की ताकत दे सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म और अंतरराष्ट्रीय वितरण नेटवर्क के विस्तार के कारण अब भारतीय फिल्में सीमाओं में बंधी नहीं रहीं। इतने बड़े बजट के साथ जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। 1,361 करोड़ रुपये का निवेश तभी सफल माना जाएगा जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत प्रदर्शन करे। हालांकि राजामौली की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड को देखते हुए निर्माताओं को भरोसा है कि यह प्रोजेक्ट भी ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगा। 'बाहुबली' और 'आरआरआर' ने जिस तरह दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा, उसने साबित कर दिया कि मजबूत कहानी और शानदार प्रस्तुति के साथ भारतीय फिल्में वैश्विक स्तर पर प्रभाव छोड़ सकती हैं।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार:रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस, 31/33 पहला महला, पत्रावाला बिल्डिंग, वजु कोटक मार्ग लिंक शहीद भगतसिंह रोड, फोर्ट, मुंबई 400001, भ्र.ध्व. क्र.:9224733113
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail.com

04 मुंबई, शुक्रवार,13 फरवरी 2026 महाराष्ट्र
epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

एकनाथ शिंदे का आया बड़ा बयान: मुंबई को 'बांग्लादेशी-मुक्त' बनाने का मिशन, वंदे मातरम पर किया जोर

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'हिंदुत्व' और 'राष्ट्रवाद' के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए हलचल मचा दी है। मुंबई में मीडिया से बातचीत में शिंदे ने कहा कि शहर में रह रहे अवैध घुसपैठियों के दिन अब गिनती के रह गए हैं और राज्य सरकार मुंबई को पूरी तरह 'बांग्लादेशी-मुक्त' बनाने के मिशन पर काम कर रही है।

शिंदे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों ने हेरफेर करके आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनकी सघन जांच की जाएगी। फर्जी आधार कार्ड और सरकारी कागजात तुरंत वेरिफाई कर रद्द किए जाएंगे और इसके बाद इन सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। शिंदे ने कहा, "हम अपनी सुरक्षा से किसी भी हालत में समझौता नहीं करेंगे।"

विपक्ष द्वारा 'वंदे मातरम' पर उठाए जाने वाले सवालों पर शिंदे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम से किसी को एलर्जी क्यों होनी चाहिए? हमारे देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे कहते हुए अपनी जान कुर्बान की। हर भारतीय को गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए।"

इसके अलावा, शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया अमेरिका दौरे और इंडिया-यूएस ट्रेड एग्रीमेंट पर दिए बयानों पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को 'पाकिस्तान की भाषा' बोलने वाला बताया और कहा, "जब देश आगे बढ़ रहा है, विपक्ष के नेता विदेश जाकर प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं और देश की छवि खराब करते हैं। यह कैसी देशभक्ति है जो अपने ही देश के खिलाफ बोलती है?"

उपमुख्यमंत्री का यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नए बहस के विषय के रूप में उभर रहा है और इसकी प्रतिक्रियाएँ विपक्षी दलों में भी तेज़ी से सामने आ रही हैं।

परभणी महापौर चुनाव में कांग्रेस ने निभाया आघाड़ी धर्म, शिवसेना (उबाठा) को दिया समर्थन - हर्षवर्धन सपकाळ

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
परभणी/मुंबईः परभणी महापौर पद के चुनाव में कांग्रेस ने आघाड़ी धर्म का पालन करते हुए शिवसेना (उबाठा) को समर्थन दिया है, जबकि चंद्रपुर में शिवसेना (उबाठा) ने भाजपा को समर्थन देकर आघाड़ी धर्म का पालन नहीं किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि परभणी में कांग्रेस के सभी 12 नगरसेवकों ने भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए शिवसेना (उबाठा) को वोट दिया। इसके परिणामस्वरूप परभणी में शिवसेना (उबाठा) का महापौर और कांग्रेस का उपमहापौर चुना गया। सपकाळ ने बुलढाणा में मीडिया से बातचीत में कहा, "चंद्रपुर महानगर पालिका में शिवसेना (उबाठा) की भूमिका गलत थी। उनके 8 नगरसेवकों ने भाजपा को वोट दिया, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत था और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा। कांग्रेस ने आघाड़ी धर्म का पालन किया, जबकि शिवसेना (उबाठा) ने इसका पालन नहीं किया।"

उन्होंने आगे कहा, "परभणी में कांग्रेस ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि आघाड़ी धर्म निभाने के लिए शिवसेना (उबाठा) के समर्थन में खड़ा रहा। आघाड़ी में शिवसेना (उबाठा) कांग्रेस के मत तो लेती है, लेकिन कांग्रेस को समर्थन नहीं देती, यह परभणी और चंद्रपुर की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है।"

सपकाळ ने खासदार संजय राउत के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंद्रपुर में जो बयान दिए गए, वे गलत हैं और आघाड़ी धर्म के अनुरूप नहीं हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस का मित्र पक्ष है, उनके 2 नगरसेवक अनुपस्थित रहे तो कांग्रेस ने कार्रवाई की, लेकिन शिवसेना (उबाठा) ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनका समर्थन किया, यह कांग्रेस कभी भी सहन नहीं करेगी।

ज्ञान, संस्कृति और भारतीय मूल्यों को विकसित करने वाला विद्यालय है विश्वशांति गुरुकुल' : पद्मश्री परशुराम गंगावणे

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
नवी मुंबईः आधुनिक युग में भारतीय ज्ञान-परंपरा और आधुनिक शिक्षा का संतुलित समन्वय करते हुए विद्यार्थियों में ज्ञान, संस्कृति और भारतीय मूल्यों का संस्कार देने वाला विद्यालय एमआईटी विश्वशांति गुरुकुल है। यह विचार पद्मश्री परशुराम गंगावणे ने व्यक्त किए। वे उलवे स्थित एमआईटी विश्वशांति गुरुकुल स्कूल में नव-निर्मित 'विश्वधर्मी विश्वनाथ सभागृह' के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। माईर्स एमआईटी शिक्षा समूह के संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्रो. डॉ. विश्वनाथ दा. कराड एवं सौ. उषा विश्वनाथ कराड के आशीर्वाद से यह उद्घाटन पद्मश्री परशुराम गंगावणे तथा माईर्स एमआईटी के ट्रस्टी एवं महासचिव प्रो. स्वाती कराड चाटे के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ।

इस अवसर पर पनवेल कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व संचालक राजेंद्र पाटील, सौ. उषा विश्वनाथ कराड, एमआईटी विश्वप्रयाग विश्वविद्यालय की परियोजना निदेशिका प्रो. प्रभा कासलीवाल, अण्णासाहेब टेकाळे, विश्वशांति गुरुकुल की प्रधानाचार्या अंशू सक्सेना, अकादमिक हेड शीतल वर्मा तथा मार्केटिंग एवं ऑपरेशन्स हेड प्रो. के. सी. मिश्रा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

अपने संबोधन में पद्मश्री गंगावणे ने कहा कि चित्रकथी और कठपुतली जैसी पारंपरिक कला विधाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रही हैं, बल्कि समाज प्रबोधन का सशक्त साधन भी रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना और मूल्यपरक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माईर्स एमआईटी संस्था की ट्रस्टी एवं महासचिव प्रो. स्वाती कराड चाटे ने कहा कि संस्थापक विश्वधर्मी प्रो. डॉ. विश्वनाथ डी. कराड ने वैश्विक स्तर की सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व को केंद्र में रखते हुए अनेक स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण किया है। नव-निर्मित 'विश्वधर्मी विश्वनाथ सभागृह' उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक है।

यूनानी की कहानी' से उजागर हुई चिकित्सा विरासत

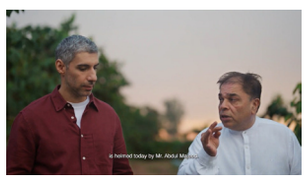

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
मुंबईः विश्व यूनानी दिवस के अवसर पर अभिनेता जिम सर्भ द्वारा नैरेट की गई डॉक्यूमेंट्री 'यूनानी की कहानी' डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित हुई। हमदर्द लेबोरेटरीज के सहयोग से बनी यह फिल्म यूनानी चिकित्सा को केवल पारंपरिक इलाज पद्धति नहीं, बल्कि शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण के संतुलन पर आधारित समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करती है। डॉक्यूमेंट्री यूनानी चिकित्सा की यात्रा प्राचीन ग्रीस से भारत तक दिखाते हुए यह सवाल उठाती है कि स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों केवल लक्षणों के बजाय जड़ से उपचार जरूरी है। इसमें हिप्पोक्रेट्स, इब्न सीना, हकीम अजमल ख़ान, हाफ़िज़ अब्दुल मजीद और हकीम अब्दुल हमीद जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों का उल्लेख है। जिम सर्भ ने इसे एक सीखने वाला अनुभव बताया, वहीं हमदर्द के चेयरमैन अब्दुल मजीद ने कहा कि यह फिल्म संतुलन, रोकथाम और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर जोर देती है। आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय को रेखांकित करती यह डॉक्यूमेंट्री खासकर युवाओं को समग्र स्वास्थ्य दृष्टि से जोड़ने का प्रयास करती है।

भिवंडी में 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' बनाने की उटी मांग, विधायक महेश चौघुले ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
भिवंडीः भिवंडी के पावरलूम उद्योग को नई ऊँचाई पर ले जाने के उद्देश्य से भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौघुले ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शहर में एक 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' स्थापित करने की मांग की है। विधायक ने इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रस्ताव को संबंधित विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

विधायक चौघुले ने ज्ञापन में बताया कि भिवंडी को 'कपड़ों का मैनचेस्टर' कहा जाता है और महाराष्ट्र से निर्यात होने वाले कुल कपड़ा उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा अकेले भिवंडी और उसके आसपास के इलाकों से आता है। शहर में लाखों श्रमिक, लघु उद्यमी और बुनकर इस व्यवसाय से जुड़े हैं।

उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन के अनुसार, शहर के कपड़ा उद्योग में आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे का अभाव है, जिससे भंडारण और निर्यात सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं।

वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार मिशन समर्थ 2.0, राष्ट्रीय फाइबर योजना और टेक्स इको जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक चौघुले का कहना है कि यदि भिवंडी में 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' स्थापित किया जाता है, तो इससे स्थानीय उद्योगों को:

- आधुनिक तकनीक और एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र प्राप्त होंगे।
- बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- निर्यात क्षमता में वृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

विधायक महेश चौघुले ने कहा, "भिवंडी के कपड़ा उद्योग के योगदान को देखते हुए यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क की अत्यंत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक रुख से व्यापारियों और बुनकरों में उम्मीद की नई आशा जगी है।"

जहांगीर आर्ट गैलरी में 'लेंसकेप केरल' प्रदर्शनी का शुभारंभ, 75 तस्वीरों में दिखी 'गॉड्स ओन कंट्री' की झलक

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
मुंबईः केरल पर्यटन द्वारा आयोजित 'लेंसकेप केरल' (Lenscape Kerala) प्रदर्शनी का शुभारंभ मुंबई की प्रतिष्ठित जहांगीर आर्ट गैलरी में किया गया। इस विशेष प्रदर्शनी का क्यूरेशन प्रसिद्ध इतिहासकार और कला समीक्षक उमा नायर ने किया है। प्रदर्शनी में देश के 10 प्रमुख ट्रैवल और मीडिया फोटोग्राफरों द्वारा खींची गई 75 चुनिंदा तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। इन फ्रेम्स के माध्यम से केरल के विविध प्राकृतिक परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वहां के जनजीवन की जीवंत झलक प्रस्तुत की गई है। तस्वीरें 'गॉड्स ओन कंट्री' कहे जाने वाले केरल की खूबसूरती और संवेदनाओं को बारीकी से दर्शाती हैं।

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रख्यात फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता सूनी तारापोरवाला ने किया। कार्यक्रम में कला और फोटोग्राफी जगत से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 'लेंसकेप केरल' प्रदर्शनी मुंबई में 15 फरवरी तक (प्रातः 11 बजे से रात 8 बजे तक) दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इसके साथ ही 13 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एक विशेष मास्टर क्लास का आयोजन भी किया जाएगा। मुंबई के बाद यह प्रदर्शनी देश के अन्य हिस्सों की यात्रा करेगी।

मुंबई-नाशिक हाईवे पर बड़ा कंटेनर पलटा, 3 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
भिवंडीः मुंबई-नाशिक महामार्ग पर गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। भिवंडी तालुका के कुकसे गांव की सीमा में एक विशाल कंटेनर मुख्य सड़क पर पलट गया, जिससे नाशिक की ओर जाने वाला मार्ग कई घंटों तक बाधित रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंटेनर कुकसे गांव के पास भोईरपाडा स्थित एक गोदाम में सामान उतारने जा रहा था। इसी दौरान सड़क के मोड़ का सही अनुमान न लग पाने के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और कंटेनर बीच सड़क पर ही पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं और उसका प्राथमिक उपचार किया गया।

कंटेनर के पलटते ही हाईवे का बड़ा हिस्सा अवरुद्ध हो गया। परिणामस्वरूप कुकसे से येवई तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। देखते ही देखते लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई, जिसमें छोटे-बड़े वाहन और यात्री घंटों फंसे रहे। कई यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सूचना मिलते ही पड़घा पुलिस और हाईवे ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल क्रेन मंगाकर कंटेनर को हटाने की कार्रवाई शुरू की और यातायात को सुचारू करने के प्रयास तेज कर दिए। देर शाम तक जाम को नियंत्रित करने की कवायद जारी रही।

ट्रूकॉलर कम्युनिटी ने 2025 में लगभग 1,200 करोड़ अनचाही कॉल्स को रोका

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
मुंबईः ट्रूकॉलर की 2025 इंडिया इनसाइट्स रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2025 के दौरान 4,000 करोड़ से अधिक स्पैम कॉल्स आए। इनमें से 1,189 करोड़ कॉल्स उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने से पहले ही ब्लॉक कर दी गईं, जिससे लोगों को ठगी, समय की बर्बादी और मानसिक तनाव से बचाया जा सका।

रिपोर्ट में बताया गया कि 770 करोड़ फर्जी कॉल्स बैंक, सरकारी विभाग और ब्रांड्स की नकल कर किए गए। साथ ही 12,903 करोड़ से अधिक स्पैम एसएमएस भी पकड़े गए, जिनकी संख्या साल की दूसरी छमाही में तेजी से बढ़ी। ट्रूकॉलर के अनुसार, स्पैम कॉल्स ब्लॉक होने से भारतीयों ने हर दिन लाखों घंटों का समय बचाया। कंपनी ने चेतावनी दी है कि 2026 में एआई आधारित वॉइस स्कैम, पहचान सत्यापन के नाम पर ठगी और मल्टी-लेयर फ्रॉड के मामले बढ़ सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने और संवेदनशील जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है। यह रिपोर्ट 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्राप्त गुमनाम डेटा पर आधारित है।

शिलफाटा सर्कल पर चलती टेम्पो में लगी आग ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

आर. एस. नेटवर्क। संवाददाता
ठाणेः कल्याण-शिलफाटा सर्कल इलाके में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक चलती टेम्पो में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठाणे महानगरपालिका आपदा प्रबंधन विभाग को शिल फायर स्टेशन से दोपहर लगभग 3:35 बजे आग लगने की सूचना मिली। बताया गया कि शिल-दिवा क्षेत्र में कल्याण-शिलफाटा सर्कल पर महापे से उत्तरशिव की ओर जा रही एक टेम्पो में अचानक आग भड़क उठी।

टेम्पो के मालिक और चालक की पहचान जहर अहमद के रूप में हुई है। वह महापे से उत्तरशिव की ओर माल लेकर जा रहे थे। वाहन में प्लास्टिक के ड्रम और रंग (कलर) पाउडर जैसे ज्वलनशील सामान लदा हुआ था। आग लगते ही चालक ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया और स्वयं बाहर निकल आए। उनकी इस सूझबूझ से संभावित बड़ा हादसा टल गया।

सूचना मिलते ही शिल फायर स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर सरनोबत के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीम एक दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंची। डाइघर ट्रैफिक पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गई। दमकल कर्मियों ने तत्परता से आग बुझाने का कार्य शुरू किया और लगभग 3:55 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।